



न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)
COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
समाज कल्याण विभाग/Social Welfare Department
बिहार सरकार/Government of Bihar

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0/05 (प्र0सं0)/2019

248/311/1981

दिनांक 26 फरवरी 2021

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

- (1) सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी,
जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-
दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।
- (2) अनुमण्डल पदाधिकारी,
बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल।
- (3) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
(बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल अन्तर्गत)

विषय :-

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए तिरहुत प्रमण्डल हेतु आयोजित ऑनलाइन ई-कोर्ट के दौरान बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल से सम्बन्धित मामलों की स्थलीय समीक्षा का आयोजन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-

इस कार्यालय का पत्र सं0-581/आ0नि0को0 दि0-28.02.2020 (प्रति संलग्न), पत्र सं0-744/आ0नि0को0 दि0-24.03.2020 एवं पत्र सं0-1161/आ0नि0को0 दि0-28.08.2020

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के सम्बन्ध में कहना है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजनों के विभिन्न शिकायतों की सुनवाई के लिए तिरहुत प्रमण्डल हेतु आयोजित ऑनलाइन ई-कोर्ट के दौरान बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल से सम्बन्धित मामलों की स्थलीय समीक्षा का आयोजन किया जाना है। समीक्षात्मक बैठक की कार्यसूची में निम्न विषय शामिल होंगे :-

- (1) दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय समिति के गठन व कार्य की समीक्षा।
इस बैठक में संबंधित पदाधिकारी अनुमण्डल स्थित विविध प्रखण्डों व पंचायतों हेतु गठित प्रखण्ड स्तरीय समिति व पंचायत स्तरीय समिति के गठन/कार्य संबंधी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहेंगे।
- (2) न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा तिरहुत प्रमण्डल के संबंध में आयोजित ऑनलाइन ई-कोर्ट के दौरान बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल के संबंध में सुनवाई किए गए मामलों के कार्यान्वयन की समीक्षा।

इस सम्बन्ध में पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिले से संबंधित सुनवाई किए गए मामलों की विवरण (वाद संख्या व अन्य विवरण सहित) संलग्न है। बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल से संबंधित वाद निम्नानुरूप है :-

००००००

(Signature)

223/2020	224/2020	225/2020	226/2020	227/2020	228/2020
229/2020	230/2020	231/2020	396/2020	397/2020	398/2020
399/2020	400/2020	401/2020	402/2020	403/2020	662/2020
663/2020	664/2020	899/2020	900/2020	901/2020	902/2020
1187/2020	1188/2020	1189/2020	1190/2020	1191/2020	1192/2020
1193/2020	1194/2020	1195/2020	1196/2020	1197/2020	1198/2020
1199/2020	1200/2020	1201/2020	1202/2020	1203/2020	1204/2020
1205/2020	1206/2020	1207/2020	1208/2020	1653/2020	1654/2020
1655/2020	1656/2020	1657/2020	1658/2020	1659/2020	1660/2020
1661/2020	1662/2020	1663/2020	1664/2020	1665/2020	1666/2020
1667/2020	1668/2020	1669/2020	1670/2020	1671/2020	1672/2020
1774/2020	1775/2020	1776/2020	1936/2020	3146/2020	3147/2020
3148/2020	3149/2020	3150/2020	3151/2020	3152/2020	3153/2020
3154/2020	-----	-----	-----	-----	-----

विदित हो कि इस तिरहुत प्रमण्डल हेतु आयोजित ई-कोर्ट के दौरान यह शिकायत की गई थी कि बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत विविध विस्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता की कार्यक्रम विवरणी

क्र० सं०	तिथि	आगमन/ प्रस्थान/ समय सारणी	कार्यक्रम	भागीदारी	कार्यक्रम स्थल	नोडल पदाधिकारी/ अभ्युक्ति
1.	08/03/2021	04:00 PM बजे पटना से पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के लिए प्रस्थान।	सड़क मार्ग (NH) से यात्रा पटना से पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के लिए प्रस्थान।	---	---	पश्चिम चम्पारण जिला परिसदन में रात्रि विश्राम।
2.	10/03/2021	03:00 PM से 04:00 PM बजे तक	बेतिया अनुमण्डल एवं अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : बेतिया, मंझौलिया, नौतन, बैरिया, चनपटिया एवं योगापट्टी, में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक एवं बेतिया अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों का चलन्त न्यायालय कार्यक्रम की तैयारी हेतु अनुमण्डल/प्रखण्ड के पदाधिकारियों के साथ	अनुमण्डल स्तर के समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी/निगम आयुक्त, केन्द्रीय प्रबंधक बनियाद केन्द्र, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषाग के प्रतिनिधि रूप में कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ एवं शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, अस्थि दिव्यांगजन विशेषज्ञ, श्रवण एवं वाणी (भाषा) विशेषज्ञ, नेत्र/दृष्टिबाधित विशेषज्ञ, मानसिक रुग्ण/बौद्धिक दिव्यांगता विशेषज्ञ एवं दिव्यांग तथा अनुमण्डल स्तर के दिव्यांगजन उपस्थित होंगे।	अनुमण्डल/ बनियाद केन्द्र सभाकक्ष	अनुमण्डल पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला परिसदन में रात्रि विश्राम।						
3.	11/03/2021	08:00 AM से 06:00 PM बजे तक	अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : बेतिया, मंझौलिया, नौतन, बैरिया, चनपटिया एवं योगापट्टी में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन	(1) बेतिया प्रखण्ड के दिव्यांगजन (2) मंझौलिया प्रखण्ड के दिव्यांगजन (3) नौतन प्रखण्ड के दिव्यांगजन (4) बैरिया प्रखण्ड के दिव्यांगजन (5) चनपटिया प्रखण्ड के दिव्यांगजन (6) योगापट्टी प्रखण्ड के दिव्यांगजन	अपने-अपने प्रखण्ड परिसर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सी0डी0पी0ओ0
पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला परिसदन में रात्रि विश्राम						

(Handwritten Signature)

4.	12/03/2021	03:00 PM से 04:00 PM बजे तक	बगहा अनुमण्डल एवं अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : रामनगर, बगहा-1, बगहा-2, ठकराहन, मधुबनी, पिपरासी एवं भितहा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक एवं बगहा अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों का चलन्त न्यायालय कार्यक्रम की तैयारी हेतु अनुमण्डल/प्रखण्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक	अनुमण्डल स्तर के समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी/निगम आयुक्त, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के प्रतिनिधि रूप में, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, अस्थि दिव्यांगजन विशेषज्ञ, श्रवण एवं वाणी (भाषा) विशेषज्ञ एवं नेत्र/दृष्टिबाधित विशेषज्ञ, मानसिक रुग्ण/बौद्धिक दिव्यांगता विशेषज्ञ एवं दिव्यांग तथा अनुमण्डल स्तर के दिव्यांगजन उपस्थित होंगे।	अनुमण्डल/ बुनियाद केन्द्र सभाकक्ष	अनुमण्डल पदाधिकारी
		पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला परिसदन में रात्रि विश्राम।				
5.	13/03/2021	08:00 AM से 06:00 PM बजे तक	अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : रामनगर, बगहा-1, बगहा-2, ठकराहन, मधुबनी, पिपरासी एवं भितहा में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन	(1) रामनगर प्रखण्ड के दिव्यांगजन (2) बगहा-1 प्रखण्ड के दिव्यांगजन (3) बगहा-2 प्रखण्ड के दिव्यांगजन (4) ठकराहन प्रखण्ड के दिव्यांगजन (5) मधुबनी प्रखण्ड के दिव्यांगजन (6) पिपरासी प्रखण्ड के दिव्यांगजन (7) भितहा प्रखण्ड के दिव्यांगजन	अपने-अपने प्रखण्ड परिसर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सी0डी0पी0ओ0
		पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला परिसदन में रात्रि विश्राम।				
6.	14/03/2021	03:00 PM से 04:00 PM बजे तक	नरकटियागंज अनुमण्डल एवं अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : लौरिया, नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा एवं मैनाटांड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत गठित अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक एवं नरकटियागंज अनुमण्डल अन्तर्गत प्रखण्डों का चलन्त न्यायालय कार्यक्रम की तैयारी हेतु अनुमण्डल/प्रखण्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक	अनुमण्डल स्तर के समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी/निगम आयुक्त, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के प्रतिनिधि रूप में, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी, अस्थि दिव्यांगजन विशेषज्ञ, श्रवण एवं वाणी (भाषा) विशेषज्ञ एवं नेत्र/दृष्टिबाधित विशेषज्ञ, मानसिक रुग्ण/बौद्धिक दिव्यांगता विशेषज्ञ एवं दिव्यांग तथा अनुमण्डल स्तर के दिव्यांगजन उपस्थित होंगे।	अनुमण्डल/ बुनियाद केन्द्र सभाकक्ष	अनुमण्डल पदाधिकारी
		पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला परिसदन में रात्रि विश्राम।				
7.	15/03/2021	08:00 AM से 06:00 PM बजे तक	अनुमण्डल अन्तर्गत सभी प्रखण्डों : लौरिया, नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा एवं मैनाटांड में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन	(1) लौरिया प्रखण्ड के दिव्यांगजन (2) नरकटियागंज प्रखण्ड के दिव्यांगजन (3) गौनाहा प्रखण्ड के दिव्यांगजन (4) सिकटा प्रखण्ड के दिव्यांगजन (5) मैनाटांड प्रखण्ड के दिव्यांगजन	अपने-अपने प्रखण्ड परिसर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सी0डी0पी0ओ0
	15/03/2021	06:00 PM बजे पश्चिम चम्पारण (बेतिया) से पटना के लिए प्रस्थान।	सड़क मार्ग (NH) से यात्रा पश्चिम चम्पारण (बेतिया) से पटना के लिए प्रस्थान।	---	---	---

अनुमण्डल स्तर की समीक्षा बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी/निगम आयुक्त, केन्द्रीय प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के प्रतिनिधि रूप में, कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी, एस0डी0पी0ओ0 एवं शिक्षा, परिवहन, पथ निर्माण, भवन/स्थायी निर्माण, क्षेत्र के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी एवं दिव्यांग तथा अनुमण्डल स्तर का दिव्यांगजन भाग लेंगे। अनुमण्डल स्तर की समीक्षा बैठक में बेतिया, मंझौलिया, नौतन, बैरिया, चनपटिया, योगापट्टी, रामनगर, बगहा-1, बगहा-2, ठकराहन, मधुबनी, पिपरासी, भितहा, लौरिया, नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा एवं मैनाटांड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने साथ पंचायत स्तर का प्रपत्र-1 एवं प्रखण्ड स्तर का प्रपत्र-2 लायेंगे और साथ ही साथ पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर चुने गए दिव्यांगजन प्रतिनिधि को भी साथ लायेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु पंचायत स्तर का प्रपत्र-1 एवं प्रखण्ड स्तर का प्रपत्र-2 संलग्न है।

15/03/2021.....


उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा-82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है।

अतः सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) से अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत दिव्यांगजन समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा का आयोजन में सहयोग हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के लिए नयाचार पदाधिकारी (प्रोटोकॉल ऑफिसर) नामित करने के साथ-साथ इनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु निदेशित करने की कृपा की जाए तथा उक्त तिथि को राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना हेतु पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला परिसदन का दो कमरा आरक्षित करने की भी कृपा की जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वसभाजन
21.02.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापाक-स०स०-06/रा०आ०नि०/05 (प्र०स०)/2019

248/311-1981
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अन्तर्गत बेतिया अनुमण्डल, बगहा अनुमण्डल एवं नरकटियागंज अनुमण्डल हेतु गठित अनुमण्डल स्तरीय समिति के सम्बन्ध में अनुमण्डल स्तरीय व अनुमण्डल शामिल विविध प्रखण्डों के प्रखण्ड स्तरीय विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में सहयोग हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को ससमय भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

दिनांक 26 फरवरी '21

21.02.2021
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापाक-स०स०-06/रा०आ०नि०/05 (प्र०स०)/2019

248/311-1981
प्रतिलिपि:-जिला प्रबन्धक, बुनियाद केन्द्र/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं आई०सी०डी०एस, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को प्रखण्ड चलन्त न्यायालय की तैयारी के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 26 फरवरी '21

21.02.2021
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापाक-स०स०-06/रा०आ०नि०/05 (प्र०स०)/2019

248/311-1981
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 26 फरवरी '21

21.02.2021
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।